झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. धारा 18 की उपधारा (4) में संशोधन।
3. धारा 18 की उपधारा (8) में संशोधन।
4. धारा 63 की उपधारा (1) में संशोधन।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विद्येयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु विद्येयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–

(i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) यह दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. धारा 18 की उपधारा (4) में संशोधनः–

(क) धारा 18 की उपधारा (4) की कंडिका (ii) में विद्यमान परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

" परन्तु यह कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री की जाने की स्थिति में वैसे क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उपधारा (1) के अन्तर्गत किये गये वैसे बिक्री पर भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की सीमा तक ही अनुमान्य रहेगा एवं शेष इनपुट टैक्स किसी भी भुगतेय कर, शास्ति अथवा ब्याज के विरूद्ध सामंजन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा।"

(ख) धारा 18 की उपधारा (4) की कंडिका (iii) में विद्यमान परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"परन्तु यह कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में विनिर्माण अथवा प्रोसेसिंग अथवा खनन में प्रयुक्त मालों से उत्पादित मालों की बिक्री की जाने की स्थिति में वैसे क्रय पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उपधारा (1) के अन्तर्गत किये गये वैसे बिक्री पर भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की सीमा तक ही अनुमान्य रहेगा एवं शेष इन्पुट टैक्स किसी भी भुगतेय कर, शास्ति अथवा ब्याज के विरूद्ध सामंजन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा।"

3. धारा 18 की उपधारा (8) में संशोधनः—

धारा 18 के उपधारा (8) में विद्यमान कंडिका (ix) में एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगाः—

" परंतु इस कंडिका के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के संबंध में, इनपुट कर केडिट अंतिम उत्पाद के उत्पादन में सीधे प्रयुक्त कच्चे माल पर 4% से अधिक अदा किए गए कर पर अनुमत किया जा सकेगा।"

उपरोक्त परन्तुक में शब्द समुह, "वैसे सामानों पर" के पश्चात् प्रयुक्त शब्द "4%" को दिनांक 13.5.2015 के प्रभाव से "5%" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. धारा 63 की उपधारा (1) में संशोधनः—

धारा 63 की विद्यमान उपधारा (1) में शब्द समूह "सकल आवर्त्त" के पश्चात् शब्द "40 लाख" के स्थान पर शब्द "60 लाख" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 69--50--18-1-2016